



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER
THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

ID No. :- 220300411

Plot/House ARAZI NO-1801, 1802 PART, 1803 PART, 1804 PART & 1805 PART Block/Sector/Type - —

Permit Date 09-02-2021 Scheme —

Permit No. 778/BHAWAN/2010-11 Application Date 11.08.2020 For Revised

Area(Place) KATRI KHEWRA

Land Usage LAY OUT& ROW HOUSING

Applicant's Name SRI NAND KISHOR AGARWAL & OTHERS

Present Address R/O- H.NO-8/85, ARYA NAGAR, KANPUR NAGAR.

Sanctioned vide order dated : 16.01.2021 V.C. by authorized officer. Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed. Subject to The Conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid dated 25.01.2022 for fresh Map One year/Three year in Case of Renewal.


ज्योति प्रसाद
Authorised Signatory
का० वि० प्रा०

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.


Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तः-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छप्पा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. शासनादेश के अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था रूफटाप क्षेत्रफल के आधार पर अर्हता प्राप्त दक्ष इंजीनियर से डिजाइन कराकर निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
8. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
10. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा।
11. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी गाईड लाईन-2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सड़क पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
12. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है तो आवेदक को देय होगी।
14. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
15. मानचित्र की स्वीकृति संशोधित ले-आउट हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुकिया कदापि अनुमन्य नहीं होगी।
16. उ0प्र0 एपार्टमेंट एक्ट 2010 के प्राविधानों में भाग 4(6) का अनुपालन करना होगा तथा अपार्टमेंट एक्ट में प्राविधानित प्रारूपों पर समस्त विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
17. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
18. स्थल पर कूरण निरन्तरण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
19. रेरा की शर्तों का पालन करना होगा।
20. भवन का निर्माण एवं प्रयोग स्वीकृति के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
21. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
22. बेसमेंट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए की जायेगी एवं बेसमेंट का उपयोग डोमेस्टिक स्टोरेज प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। स्टिल्ट फ्लोर का प्रयोग केवल पार्किंग प्रयोजनार्थ ही अनुमन्य होगा।
23. पार्किंग स्थल का प्रयोग केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु ही करना होगा।
24. आंतरिक विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने की गारन्टी के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भूखण्ड संख्या-37, 38, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 व 60 बन्धक रखे जा रहे हैं। आंतरिक विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुपात में बन्धक भूखण्ड अवमुक्त किये जायेंगे।
25. सम्बन्धित विभागों से प्राप्त एन0ओ0सी0 की शर्तों का पालन करना होगा। अन्यथा की दशा में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त होना मान्य होगा।
26. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार समस्त विकास कार्य/निर्माण कार्य यूपी0पी0डब्लू0डी0 की विशिष्टियों के अनुरूप करने होंगे।
27. स्थल पर विकास/निर्माण के समय सुरक्षा/किसी भी प्रकार की दुर्घटना का समस्त दायित्व निर्माणकर्ता/आवेदक का होगा।
28. अनावासीय भवनों में यूपी0ई0सी0वी0सी0 कोड-2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार-100 कि0वा0 या उससे अधिक हो अथवा कान्स्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 के0वी0ए0 या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल-1000 वर्ग मी0 से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी0 (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल एनर्जी जनरेशन जॉन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
29. शासनादेशानुसार निर्माण करते समय कोविड-19 (नोबल कोरोना वायरस) में दिये गये शर्तों का पालन करना होगा।
30. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा में प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।


Anurag Singh
का०वि०प्रा०